

इन्क्वायरी पत्र सं०/ Enquiry Letter No. 9-14/2009-10/Gen
 भारत सरकार/Government of India
 दिल्ली दुग्ध योजना/Delhi Milk Scheme
 पश्चिमी पटेल नगर/ West Patel Nagar, New Delhi-110008
 दूरभाष/ Telephone No. EPBX 25877204/205/206/208/209 (Extn - 231)

दिनांक/Dated 19.02.2015

M/s

प्रिय महोदय/Dear sir,

दिल्ली दुग्ध योजना कृषि मंत्रालय के अधीन केन्द्र सरकार का एक संस्थान है जो राष्ट्रीय राजधानी के नागरिकों को उत्तम कोटि का दुग्ध तथा दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति करता है। यह कार्यालय पिछले पृष्ठ/संलग्न सूची में दर्शाए गए सामान/मदों को खरीदने का इच्छुक है।

Delhi Milk Scheme is a Central Govt. Organization under Ministry of Agriculture engaged in supplying high quality of milk and milk products to the citizens of National Capital and intends to purchase material/items mentioned in reverse/as shown in the attached list.

1. कोट की गई दरें एफ० ओ० आर० दिल्ली दुग्ध योजना आधार पर हों तथा खुलने की तारीख से कम से कम 90 दिनों तक वैध हो।

Enquiry should be on FOR DMS basis and valid atleast for 90 days from the date of opening.

2. लिफाफे के ऊपर इन्क्वायरी संख्या और खुलने की तारीख लिखना आवश्यक है।

Enquiry Letter No. and due date should be written on top of the envelop.

3. दिल्ली स्थित कोट करने वाले को चाहिए कि वह माल की सप्लाई हमारे यहाँ करे अन्यथा उसकी ऑफर पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि माल सप्लाई का भाडा अलग से लेना है तो उसका उल्लेख साफ तौर पर अपनी कोटेशन में करें।

Quoters in Delhi must quote for delivery at our premises otherwise the offer is likely to be ignored. If delivery charges are desired to be charged extra. You must ask for it in your quotation.

4. माल परिदान की अवधि ही क्रय आदेश का सार है, इसलिए कृपया अपनी ऑफर में परिदान अवधि का उल्लेख करें। परिदान अवधि समाप्ति के पश्चात माल का स्वीकार किया जाना पूर्णतया सक्षम प्राधिकारी के एकमात्र स्वविवेक पर होगा कि वह देरी वाले प्रत्येक माह या उसके भाग के प्रति देरी से प्राप्त हुए माल को परिनिर्धारित हानियों की वसूली किए बिना अथवा वह संविदा के कुल मुल्य का अधिकतम 2% की दर से परिनिर्धारित हानियाँ वसूल कर स्वीकार करें।

Delivery period is the essence of the purchase order. Therefore, delivery period may be mentioned in your offer. Acceptance of material after delivery period will be at the sole discretion of Competent Authority with or without liquidated damages which may be maximum @ 2% of the total value of the contract for each month or part thereof of delay.

